इससे पहले अरविंद सिंह सांगवान, जे.

न्यू इंडिया एशोरेंस कंपनी लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

रविंदर कुमार और अन्य-2019 का प्रतिवादी सी. आर. सं. 527

05 अगस्त, 2022

आयकर अधिनियम, **1961,** मोटर वाहन अधिनियम, **1988,** कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, **1923**-आयकर अधिनियम, **1961** आर/डब्ल्यू मोटर वाहन अधिनियम, **1968** के तहत मुआवजे पर भुगतान की गई ब्याज राशि पर स्रोत पर टीडीएस की कटौती-आयोजित-यदि मुआवजे पर ब्याज का भुगतान **1** जून **2015** से पहले किया जाता है तो बीमा कंपनी दावेदारों को स्रोत पर कटौती की गई कर राशि का भुगतान करेगी और कंपनी संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करके आयकर अधिकारियों से धनवापसी की मांग कर सकती है।जहां मुआवजे पर ब्याज का भुगतान **1** जून **20156** के बाद किया जाता है, जो प्रति वित्तीय वर्ष प्रति दावेदार **50,000** रुपये से अधिक है, बीमा कंपनी आयकर अधिनियम और नियमों के फॉर्म **15** जी नियम **29** सी को प्राप्त करने पर भुगतान करेगी।

अभिनिर्धारित, इस न्यायालय का विचार है कि अधिनिर्णीत ब्याज को दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक वर्षों की संख्या में फैलाया जाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना होने पर तुरंत मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और मुआवजे के निर्धारण में देरी के कारण होने वाली देरी के लिए न्यायाधिकरण या अदालतों द्वारा ब्याज दिया जाता है और यदि प्रत्येक व्यक्तिगत दावेदार को देय वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज रु। 50,000/- तभी टी. डी. एस. का सवाल उठेगा।जहां तक भुगतान के लिए जिम्मेदार याचिकाकर्ता बीमा कंपनी के दायित्व का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की राशि जारी करने से पहले दावेदार को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दावेदार ने बीमा कंपनी के कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की खंड 197 ए (1-ए) के संदर्भ में आयकर नियमों के नियम 29-सी के फॉर्म 15-जी में एक घोषणा प्रस्तुत की है ताकि संबंधित बीमा कंपनी को टीडीएस के भुगतान के अपने दायित्व से मुक्त किया जा सके।

आर. सी. कपूर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए (सी. आर.-527,3442,4687 और 7547-2019 और सी. आर.-634,814 और 1382-2021 में)।याचिकाकर्ता की ओर से संदीप सूरी, अधिवक्ता (सीआर-4389-2019 में)।याचिकाकर्ता की ओर से राजेश के. शर्मा, अधिवक्ता (सीआर-6862-2019 में)।

वरुण शर्मा, सतपाल धमीजा के लिए अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता (सीआर-1686-2021 में)।

अशित मलिक, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 3 और 4 (सीआर-4687-2019 में) के लिए।

लखवीर कुमार, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 (सी. आर.-4687-2019 में) के लिए।

विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1 और 2 के लिए (सीआर-814-2021 में)।

योगीश पुटनी, प्रतिवादी संख्या 4-आयकर विभाग के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील (सीआर-527-2019 में)।

प्रशांत बंसल, अधिवक्ता, प्रतिवादी Nos.1 से 4 और 6 से 27 के लिए।

अरविंद सिंह सांगवान**,** जे।

(1) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों से उत्पन्न उपरोक्त सभी पुनरीक्षण याचिकाओं में शामिल सामान्य प्रश्न यह है कि "क्या निर्देश जारी किए जा सकते हैं?

निर्णय देनदार-बीमा कंपनी मोटर वाहन अधिनियम**, 1988** के साथ पठित आयकर अधिनियम**, 1961** के तहत मुआवजे पर भुगतान की गई ब्याज राशि पर स्रोत पर टीडीएस की कटौती करेगी।"

(2) सभी पुनरीक्षण याचिकाओं के तथ्यों ध्यान दें देना प्रासंगिक होगाः-

सीआर**-527-2019**

(3) दिनांक 11.8.2015 के MACT निर्णय के अनुसार, दावेदार को 16.11.2007 पर एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उसे Rs.26,74,112/- की राशि दी गई, साथ ही

याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष 7.5% की दर से ब्याज दिया गया।

(4) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दायर इस पुनरीक्षण याचिका में चुनौती अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 26.9.2018 के एक आदेश को दी गई है, जिसमें बीमा कंपनी को नियमों के अनुसार आयकर विभाग से इसे वापस लेने की और अधिक स्वतंत्रता के साथ आदेश के अनुपालन में ₹ 1,42,534 की टीडीएस की कटौती राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

सीआर**-4687-2019**

(5) दिनांक 22.11.2012 के MACT निर्णय के अनुसार, दावेदार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उसे याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 13,57,200/-रूप्ये की राशि दी गई। हालाँकि, उक्त राशि को घटाकर रु। 12,81,152/-रूप्ये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ कर दिया गया।

(6) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दायर इस पुनर्रीक्षण याचिका में चुनौती एम. ए. सी. टी., कुरुक्षेत्र द्वारा पारित दिनांक 23.4.2019 के आदेश को दी गई है, जिसमें बीमा कंपनी को Rs.44,903/- की टी. डी. एस. की कटौती राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

सीआर**-3442-2019**

(7) एम. ए. सी. टी. निर्णय दिनांक 5.11.2012 के अनुसार, दावेदारों को 7,30,000 रुपये की राशि प्रदान की गई थी। 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ। हालांकि, उक्त राशि को सालाना 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ बढ़ाकर 15,21,000/- कर दिया गया था।

(8) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दायर इस पुनर्रीक्षण याचिका में चुनौती एम. ए. सी. टी., चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 19.3.2019 के एक आदेश को दी गई है, जिसमें बीमा कंपनी को Rs.29,820/- और रु. 85, 266/- ब्याज के साथ 7.5% प्रति वर्ष की दर से आदेश की तारीख 28.1.2016 से प्राप्ति तक।

सीआर**-4389-2019**

(9) दिनांक 3.11.2015 के MACT पुरस्कार के अनुसार, दावेदारों को ब्याज के साथ Rs.36,05,648/- की राशि प्रदान की गई थी। हालाँकि, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(10) राष्ट्रीय बीमा कंपनी द्वारा दायर इस पुनर्रीक्षण याचिका में चुनौती एम. ए. सी. टी., चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 16.7.2018 के एक आदेश को दी गई है, जिसमें बीमा कंपनी को टी. डी. एस. के शीर्ष के तहत कटौती की गई Rs.98,309/- की राशि दावेदार को जारी करने का आदेश दिया गया था।

सीआर-**6862-2019**

(11) एम. ए. सी. टी. निर्णय दिनांक 17.2.2007 के अनुसार, दावेदारों को Rs.17,25,000/- की राशि प्रदान की गई थी, जो कि Rs.34,50,00/- की निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत था, क्योंकि यह निष्कर्ष वापस किया गया था कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था। हालाँकि, अपील पर, इस न्यायालय ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर Rs.52,15,000/-, न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड. v. कर दिया है।दिनांक 17.5.2018 के आदेश के अनुसार अंशदायी लापरवाही के निष्कर्षों को दरकिनार करने के बाद, दावा दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 7.5% की दर से ब्याज के साथ।

(12) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दायर इस पुर्निनिरीक्षण याचिका में चुनौती एम. ए. सी. टी., मोगा द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है, जिसमें अर्जित ब्याज से टी. डी. एस. काटने के बाद पुरस्कार की राशि जमा करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

सीआर-**7547-2019**

(13) एम. ए. सी. टी. निर्णय दिनांक 1.5.2017 के अनुसार, दावेदारों को याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रु. 7,27,900 का मुआवजा दिया गया था।(14) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दायर इस पुर्निनिरीक्षण याचिका में चुनौती जगाधरी में एम. ए. सी. टी./निष्पादन न्यायालय, यमुना नगर द्वारा पारित दिनांक 19.1.2019 के एक आदेश को दी गई है, जिसमें बीमा कंपनी को Rs.24,978/- की टी. डी. एस. की कटौती राशि दावेदारों को 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया था।

सीआर-**634-2021**

(15) दिनांक 30.1.2018 के MACT पुरस्कार के अनुसार, दावेदारों को प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ Rs.42,91,383/- का मुआवजा दिया गया था।

(16) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दायर इन पुनरीक्षण याचिकाओं में चुनौती एम. ए. सी. टी./निष्पादन न्यायालय, नारनौल द्वारा पारित दिनांक 21.10.2020 और

8.11.2019 के आदेशों को दी गई है, जिसके तहत बीमा कंपनी को टी. डी. एस. की कटौती की गई राशि. 1,80,309-जमा करने का निर्देश दिया गया था।

सीआर-**1382-2021**

(17) एम. ए. सी. टी. पुरस्कार दिनांक 24.1.2018 के अनुसार, दावेदारों को प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रु. 4,40,000 का मुआवजा दिया गया था।हालाँकि, अपील पर, इस न्यायालय ने मुआवजे की राशि को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बढ़ाकर 6,05,354/- रुपये कर दिया।

(18) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दायर इस पुर्निनिरीक्षण याचिका में चुनौती एम. ए. सी. टी./निष्पादन न्यायालय, कैथल द्वारा पारित दिनांक 26.02.2021 एक आदेश को दी गई है, जिसके तहत बीमा कंपनी को आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर टी. डी. एस. की कटौती राशि 210713/- जमा करने का निर्देश दिया गया था।

सीआर-**1686-2021**

(19) दिनांक 12.2.2018 के MACT निर्णय के अनुसार, दावेदारों को याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ Rs.30,68,800/- का मुआवजा दिया गया था।(20) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर इस पुनरीक्षण याचिका में चुनौती एम. ए. सी. टी./निष्पादन न्यायालय, नारनौल द्वारा पारित एक आदेश 27.5.2021 और 20.7.2021 को दी गई है, जिसके तहत बीमा कंपनी को दावेदारों द्वारा दायर गणना के अनुसार शेष राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

सीआर-**814-2021**

(21) एम. ए. सी. टी. निर्णय दिनांक 10.8.2018 के अनुसार, दावेदारों को प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रु. 3,00,000 का मुआवजा दिया गया था।हालाँकि, अपील पर, इस न्यायालय ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर रु. 6,30,000-कर दिया।

(22) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी द्वारा दायर इस पुर्निनिरीक्षण याचिका में चुनौती एम. ए. सी. टी./निष्पादन न्यायालय, कैथल द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 04.12.2020 को दी गई है, जिसके तहत बीमा कंपनी को आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर Rs.16,160/- की टी. डी. एस. की कटौती राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

24.1.2019 पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

“श्री कपूर ने इस कोर्ट न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दो फैसलों को इस अदालत के संज्ञान में लाया है। न्यू इडिंया एश्योरेंस कम्पनी बनाम राज बाला (CR5223 of 2016) और द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सावित्री देवी और अन्य, सी. आर. नं. 6784 of 2016 04 अप्रैल, 2018 को तीन अन्य याचिकाओं के साथ

23 मार्च, 2018 के आदेश के अनुसार, आयुक्त, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923, हिसार सर्कल के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था और उस मंच के समक्ष दावेदारों को अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने और बीमा कंपनी द्वारा उन्हें मुआवजे का भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गए कर की वापसी की मांग करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय के समक्ष किए गए दावों से उत्पन्न 4 याचिकाओं में पारित किया गया दूसरा निर्णय दिनांक 04.04.2018, तथापि न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया गया कि न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजा दिया जाए। इसके द्वारा प्रदत्त (उस मुआवजे पर उपार्जित ब्याज सहित) टी. डी. एस. के अधीन नहीं होगा।

श्री कपूर से पूछताछ करने पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आयकर विभाग और याचिकाकर्ताओं की कंपनी ने 04 अप्रैल, 2018 को इस न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं, जिसमें दोनों एसएलपी खारिज कर दिए गए थे, लेकिन विशेष अवकाश याचिका (सिविल) डायरी संख्या 29873/2018 में पारित आदेश के अनुसार कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया गया था, यानी आयकर विभाग द्वारा स्थापित याचिका।

इसे इस न्यायालय के संज्ञान में लाने के बाद, वह प्रस्तुत करता है कि फिर भी, न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता को दावेदार को दिए गए मुआवजे (और उस पर ब्याज) पर कंपनी द्वारा स्रोत पर काटे गए कर को न्यायाधिकरण में जमा करने का निर्देश दिया गया है, अर्थात प्रतिवादी नं।1 इसमें, एक स्थायी आदेश नहीं है, ऐसा कर जो पहले से ही कुल राशि से काट लिया गया है और आयकर विभाग को भुगतान किया गया है, और इसलिए, यह प्रतिवादी-दावेदारों पर है कि वे अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने पर उसकी वापसी की मांग करें; और आयकर अधिनियम, 1961 में निहित वैधानिक प्रावधानों के बावजूद, निम्नलिखित प्रभाव से विभाग से इस तरह की वापसी की मांग करना याचिकाकर्ता कंपनी का काम नहीं हैः-

आयकर अधिनियम 1961 की खंड 194 ए (1):-

“कोई भी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार नहीं है, जो किसी निवासी को "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के माध्यम से आय के अलावा ब्याज के रूप में किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, ऐसी आय को प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, उस पर लागू दरों पर आयकर की कटौती करेगा।

खंड 194 ए (3) (ix):- “उप-खंड (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे-XXX

(ix) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज के रूप में जमा या भुगतान की गई ऐसी आय के लिए जहां ऐसी आय की राशि, या, जैसा भी मामला हो, वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या भुगतान की गई ऐसी आय की कुल राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है।

वह उक्त अधिनियम की खंड 145 ए के इस न्यायालय खंड (बी) के संज्ञान में भी लाते हैं, जिसके द्वारा मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज को उस वर्ष की आय के हिस्से के रूप में प्राप्त माना जाएगा जिसमें यह वास्तव में प्राप्त होता है।

चूंकि यह मुद्दा आयकर विभाग को पहले से ही टी. डी. एस. के रूप में भुगतान की गई राशि की वापसी के संबंध में है, इसलिए यह उचित माना जाता है कि इस स्तर पर आयकर विभाग, आयुक्त, टी. डी. एस. सर्कल मुंबई द्वारा से, (जिसके साथ राशि एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड, मोहाली द्वारा से जमा की गई है), वर्तमान याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में शामिल है।

तदनुसार आदेश दिया।”

इसके बाद, फिर से, 27.2.2019 पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

“सुनवाई की तारीख पर जारी किए गए नोटिस के अनुसार नए जोड़े गए प्रतिवादी नं। 4, अर्थात आयकर विभाग अपने आयुक्त, टी. डी. एस. सर्कल, मुंबई द्वारा से, अधिवक्ता श्री योगेश पुटनी, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजबाल और अन्य मामले में उपस्थित होते हैं और इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ के फैसले की एक प्रति प्रदान करते हैं। (2016 का सी. आर. सं. 5223) जो 23.03.2018 पर निर्णय लिया, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-

“दूसरा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज से संबंधित मामले में 50, 000/- रूप्ये तक के ब्याज पर कोई कर देय नहीं है। 50, 000/- से अधिक

कर की कटौती वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई ऐसी आय की कुल राशि पर स्रोत पर की जानी है।"

हालांकि, मामलों के एक अन्य समूह में, प्रमुख मामले का शीर्षक न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। बनाम सावित्री देवी और एक अन्य (सी. आर. नं. 2016 का 6784), 04.04.2018 पर निर्णय लिया गया, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः-

"पीड़ित को मुआवजा देने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, असहाय पीड़ित को पहले न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम भुगतान करने के लिए कहना न केवल अन्यायपूर्ण बल्कि क्रूर होगा। देरी से भुगतान के कारण मुआवजे के साथ प्राप्त ब्याज, जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, और फिर आयकर विवरणी दाखिल करने और धनवापसी का दावा करने के लिए।पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप मुआवजे के साथ भुगतान किया गया ब्याज टी. डी. एस. के लिए उत्तरदायी नहीं है।

नतीजतन, न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश, जिसमें निर्देश दिया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे या उस पर उपार्जित ब्याज को टीडीएस के अधीन नहीं किया जा सकता है, को बरकरार रखा जाता है।"

श्री पुटनी हालांकि प्रस्तुत करते हैं कि मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है, कि अदालत ने इस मुद्दे को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजा था, सीबीडीटी के साथ, दिनांक 27-03-2017 पर एक संचार के माध्यम से, यह राय देते हुए कि एक दावेदार को देय मुआवजे पर दिए गए ब्याज पर कर, स्रोत पर कटौती योग्य होगा।

इसके अलावा, वह इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जहां मुआवजे की राशि पर ब्याज रु। आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 194-ए (3) (आई. एक्स. ए.) में निहित वैधानिक प्रावधान के अनुसार 50,000/- का कर अभी भी स्रोत पर कटौती योग्य होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी सं.1 को भी अब प्रस्ताव की सूचना जारी की जाए। अर्थात मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदार, जो 06.9.2019 को हाजिर हो। इस बीच, विवादित आदेश के संचालन पर सुनवाई की तारीख तक इस हद तक रोक रहेगी कि वह याचिकाकर्ता कंपनी को कटौती किए गए कर को स्रोत पर जमा करने का निर्देश देता है।" (1,42,534/-रूप्ये की दर से)

पार्टियों के वकील ने दलीलों को संबोधित किया है।

(23) आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील श्री योगेश पुटनी ने तर्क दिया है कि खंड 194-ए उप-खंड IX के तहत, यह निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः-

"प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा अन्य ब्याज।

"194-ए (1) कोई भी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार नहीं है, जो भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

आय के अलावा ब्याज के रूप में कोई भी आय प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में जमा करने के समय दाता के खाते में या उस समय ऐसी आय इसका भुगतान नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी भी अन्य तरीके से, जो भी पहले हो, आयकर की कटौती करें। उस पर लागू दरों परः बशर्ते कि कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार, जिनकी कुल बिक्री सकल प्राप्तियाँ या कारोबार उनके द्वारा चलाया गया व्यवसाय या पेशा एक करोड़ से अधिक है। व्यवसाय के मामले में रुपये या पचास लाख रुपये तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय वह वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा ब्याज जमा किया जाता है या भुगतान किया जाता है इस खंड के तहत आयकर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा। स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई उपरोक्त ब्याज के रूप में आय किसी को जमा की जाती है खाता, चाहे वह "देय ब्याज खाता" हो या "सस्पेंस खाता "या किसी अन्य नाम से, की पुस्तकों में ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का खाता जमा करना ऐसी आय का जमा माना जाएगा प्राप्तकर्ता का लेखा और इस खंड के प्रावधान तदनुसार आवेदन करें।"

XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXX

((ix) ब्याज के रूप में जमा की गई ऐसी आय पर मोटर दुर्घटनाओं द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि दावा न्यायाधिकरण;

(ixa) पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई ऐसी आय के लिए मोटर दुर्घटनाओं द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि दावा न्यायाधिकरण जहाँ ऐसी आय की राशि या मामला ऐसी आय की राशियों का योग हो सकता है। वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान पचास हजार से अधिक न। हो।

(24) यह भी तर्क दिया जाता है कि अन्य स्रोतों से आय के संबंध में खंड 56 निम्नानुसार हैः-

अन्य स्रोतों से आय

56. (1) प्रत्येक प्रकार की आय जिसे इस अधिनियम के तहत कुल आय से बाहर नहीं किया जाना है, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत आयकर, यदि यह खंड 14 आइटम ए से ई में निर्दिष्ट किसी भी शीर्ष के तहत आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है।

(2) विशेष रूप से और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित आय "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत आयकर के लिए प्रभार्य होगीः

XXX XXX XXX XXX

((viii) खंड 145 बी की उप-खंड (1) में निर्दिष्ट मुआवजे पर प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय।

(2) माननीय वकील ने तब आयकर अधिनियम की खंड 2 (24) के तहत "आय" की परिभाषा का उल्लेख करते हुए कहा है कि उप-खंड 28-ए के तहत "ब्याज" का अर्थ निम्नानुसार हैः-

“(28 क) "ब्याज" का अर्थ है किसी भी तरह से उधार लिए गए धन या किए गए ऋण (जमा, दावा या अन्य समान अधिकार या दायित्व सहित) के संबंध में देय ब्याज और इसमें उधार लिए गए धन या किए गए ऋण या किसी भी क्रेडिट सुविधा के संबंध में कोई सेवा शुल्क या अन्य शुल्क शामिल है जिसका उपयोग नहीं किया गया है।”

(26) फिर आयकर विभाग के माननीय अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर अर्जित ब्याज कर योग्य है।

(27) वकील ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एम. पी. No.6337, निर्णय में पारित दिनांक 20.3.2020 के एक फैसले का उल्लेख किया है।

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम काला बाई और अन्य, जिसमें

समान विषय पर विचार करते समय और इस न्यायालय द्वारा पारित दो आदेशों के संदर्भ में, जो समन्वय पीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश में परिलक्षित होते हैं, यह अभिनिर्धारित किया है कि हालांकि इन बिंदुओं पर अलग-अलग विचार हैं कि क्या बीमा कंपनी टीडीएस की कटौती कर सकती है यदि ब्याज की राशि Rs.50,000/- से अधिक है या अभी तक यह नहीं माना गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि पर उपार्जित ब्याज पर कर देय है और इस शर्त पर कि ब्याज प्रति वित्तीय वर्ष 50,000/- प्रति दावेदार से अधिक नहीं होना चाहिए।

(28) यह भी माना गया है कि बीमा कंपनी अधिक से अधिक की राशि की गणना का विवरण दाखिल कर सकती है। प्रत्येक दावेदार को देय ब्याज और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को समझाएं कि यह प्रति दावेदार Rs.50,000/- से अधिक है और काटा गया टी. डी. एस. उचित है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां विवरण दाखिल किए जाते हैं, बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह टी. डी. एस. के भुगतान के दायित्व से मुक्त होने के लिए मुआवजे के भुगतान के समय दावेदार से आयआदेश नियमों के नियम 29 सी का घोषणा प्रपत्र-15 जी प्राप्त करे।

(29) इस प्रकार, वकील ने तर्क दिया है कि यह बीमा कंपनी का दायित्व है कि वह या तो प्रति दावेदार 50,000/- रुपये से अधिक की देय ब्याज राशि के अलावा टीडीएस की कटौती आदेशे या वैकल्पिक रूप से मुआवजे के भुगतान के समय दावेदार से आयआदेश नियमों के नियम 29 सी के फॉर्म-15 जी में घोषणा प्राप्त करे ताकि आयआदेश विभाग को टीडीएस के भुगतान की जिम्मेदारी या दायित्व से मुक्त हो सके।

(30) यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 1.4.2010 से प्रभावी संशोधन के माध्यम से, अधिनियम की खंड 56 (2) को शामिल किया गया था।

(31) दावेदारों के वकील ने सिविल संशोधन No.678-2016 में पारित दिनांक 4.4.2018 आदेश पर भरोसा किया है, जिसे पिछले आदेश में संदर्भित किया गया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

(32) अपीलार्थी-बीमा कंपनी के माननीय वकील ने 2019 के सी. डब्ल्यू. पी.-8951 में पारित एक आदेश दिनांक 27.11.2019 का उल्लेख किया है,

शीर्षक बलदाई बनाम मुख्य आयुक्त, आयकर

विभाग और अन्य, जिसमें इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

“1. यह याचिका अनुच्छेद 226/227 के तहत प्रतिवादी को रुपये 1,27,633/- की टीडीएस राशि का पुनः भुगतान/वापसी करने का निर्देश दिया गया है-जिसे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, यमुना नगर द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि से फॉर्म No.16A दिनांक 18.02.2016 (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से अवैध रूप से काटा गया है। जो निर्णय दिनांक 05.12.2012 (अनुलग्न-पी-3) रूप्ये 2,57,000/- की दर से था। सिर्फ वही न्यायालयसे अपनी निधि दिनांक 29.09.2014 के तहत 12,54,000/- (अनुलग्न पी-2)

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 05.11.1999 पर एक सड़क दुर्घटना में हुई थी।अंततः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत याचिकाकर्ता और उसके 5 बच्चों के मुआवजे के दावे को स्वीकार कर लिया गया। क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज घटक से, प्रतिवादी No.4-Insurance कंपनी ने टीडीएस के रूप में 20 प्रतिशत की कटौती की और यह इस राशि की वापसी है जिसकी मांग की जा रही है।

3. याचिकाकर्ता के वकील ने कई दलीलें दी हैं।उनमें से एक यह था कि वास्तव में राशि को छह आश्रितों के बीच विभाजित किया जाना था और इसलिए पूरी राशि की कटौती करना जैसे कि यह केवल वर्तमान याचिकाकर्ता की ही हो, अवैध था।उन्होंने यह भी बताया है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य समाज के निचले वर्ग से हैं और उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था और इस आधार पर भी यह कटौती नहीं की जानी चाहिए थी।

4. दूसरी ओर दाखिल किए गए उत्तर के अनुसार और उत्तरदाताओं के वकील संख्या 1 से 3 के रुख के अनुसार ब्याज (प्रतिभूतियों के अलावा) पर टी. डी. एस. की कटौती 20 प्रतिशत के स्रोत पर प्रारंभिक कटौती के लिए अपेक्षित है और यदि याचिकाकर्ता और उसके बच्चों की आय कर योग्य आय से अधिक नहीं है तो वह रिटर्न दाखिल करके धनवापसी की मांग कर सकती थी, लेकिन अब इसमें भी देरी हो रही है।

"5. पूरे तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 119 के तहत देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ सक्षम मूल्यांकन अधिकारी के पास रिटर्न दाखिल करने के निर्देश के साथ इस याचिका का निपटारा करना उचित समझते हैं और सक्षम प्राधिकारी को देरी की माफी के लिए आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया जाता है और इसके बाद मूल्यांकन अधिकारी विचार कर सकता है कि क्या याचिकाकर्ता और उसके पांच बच्चे कानून के अनुसार धनवापसी के हकदार हैं।"

6. याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

7. चूंकि मुख्य मामले का फैसला हो चुका है, इसलिए लंबित नागरिक विविध आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।" (33) न्यायालय के विधि शोधकर्ताओं की सहायता से इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर एक नज़र डालना ध्यान देने योग्य है।

(34) संयुक्त भारत में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम राम लाल और अन्य 1

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः- "14. ऊपर वर्णित विभिन्न मामलों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो दावे के मामलों पर समान बल के साथ लागू होंगे, इस अदालत का विचार है

कि दिया गया ब्याज दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक वर्षों की संख्या में फैलाया जाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना होने पर तुरंत मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और मुआवजे के निर्धारण में देरी के कारण होने वाली देरी के लिए न्यायाधिकरण या अदालतों द्वारा ब्याज दिया जाता है और यदि प्रत्येक व्यक्तिगत दावेदार को देय वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज रु। 50, 000/- तभी टी. डी. एस. का सवाल उठेगा।जहां तक भुगतान के लिए जिम्मेदार याचिकाकर्ता बीमा कंपनी के दायित्व का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की राशि जारी करने से पहले दावेदार को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दावेदार ने बीमा कंपनी के कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम की खंड 197 ए (1-ए) के संदर्भ में आयकर नियमों के नियम 29-सी के फॉर्म 15-जी में एक घोषणा प्रस्तुत की है ताकि संबंधित बीमा कंपनी को टीडीएस के भुगतान के अपने दायित्व से मुक्त किया जा सके।

15. उपरोक्त के साथ, अपील का निपटारा कर दिया जाता है।"

(35) इसी तरह, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने मामले में,

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वियासन देवी और

अन्य 2 ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

"8. स्रोत पर कर की कटौती करते समय इसे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा रही आय के संबंध में काटा जाना चाहिए।सभी दावेदारों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और प्रत्येक दावेदार की आय का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना होगा क्योंकि प्रत्येक दावेदार आयकर अधिनियम के अर्थ के भीतर एक अलग व्यक्ति होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में नाबालिगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है क्योंकि इस मामले में वह मुद्दा नहीं उठता है।खंड 194 को नंगे पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कर्तव्य

1 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 567 2 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 5513 न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी लिमिटेड बना!

खंड 194 (ए) (ix) के संदर्भ में स्रोत पर कर की कटौती केवल तभी होगी जब "एक व्यक्ति" की कुल ब्याज आय रु। 50, 000/-।अगर यह रु. 50, 000/- या उससे कम, तो स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाना है।केवल इसलिए कि दावेदार दावा याचिका दायर करने के लिए एक साथ जुड़े हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुआवजे पर देय पूरे ब्याज को ध्यान में रखा जाना चाहिए।कटौती करने से पहले, बीमा कंपनी को यह सत्यापित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्तिगत दावेदार की ब्याज आय क्या है और तदनुसार स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए।

9. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनी द्वारा दायर याचिका को पूरी तरह से अलग आधारों पर खारिज कर दिया जाता है।बीमा कंपनी स्रोत पर काटे गए कर की राशि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में जमा करेगी।हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश को प्रस्तुत करने पर बीमा कंपनी प्रमाण पत्र के अनुसार कर अधिकारियों के पास जमा किए गए कर की वापसी प्राप्त करने की हकदार होगी।

संलग्नक पी-2।याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।इस निर्णय की प्रति राज्य की सभी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों और मोटर दुर्घटना दावा न्यायालयों को वितरित की जाए।"

(36) गुजरात उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ, नई दिल्ली

इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम भोयाभाई हीराभाई

भारवाग 3, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः- "12. इसलिए, खंड 194 क की उप-खंड (3) के वर्तमान प्रावधान को यह तर्क देने के लिए पढ़ना पूरी तरह से गलत होगा कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज के रूप में जमा की गई आय के मामले अब खंड 194 क की उप-खंड (1) के दायरे से बाहर करने के लिए उप-खंड (3) का हिस्सा नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, थोड़ा अलग शब्द।दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज जमा करने के मामले को खंड 194 ए की खंड (3) में निहित अपवर्जन खंड में जगह मिल रही है। वास्तव में, यह प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि रुपये की सीमा। इस तरह के बहिष्करण के लिए 50,000/- प्रति वर्ष अब दावा न्यायाधिकरण 3 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज जमा करने के मामले में समाप्त कर दिया गया है। 2016 SCC online Guj 7399

जबकि ऐसे मुआवजे पर ब्याज के भुगतान के मामलों में ऐसी सीमा को बनाए रखते हुए। हालाँकि, हमें इस मुद्दे के इस अंतिम भाग को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में, विचाराधीन वर्षों में से किसी के लिए भी, ब्याज आय

Rs.50,000/- से अधिक नहीं थी।वास्तव में, यह न्यायालय श्रीमती के मामले में। हंसगौरी प्रफुल्लचंद्र लधानी और ओआरएस बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2007 एसीजे 1897 (गुजरात) (उपरोक्त) ने रुपये की इस सीमा को और विभाजित करने का प्रावधान किया। 50, 000/- प्रति दावेदार आधार पर।से देखा।

किसी भी दृष्टिकोण से, बीमा कंपनी दावेदारों के पक्ष में मुआवजा जमा करते समय स्रोत पर कर की कटौती करना उचित नहीं था।इसलिए यह दावा न्यायाधिकरण में ऐसी राशि जमा करने के दायित्व से बच नहीं सकता है।दावा न्यायाधिकरण ने कमी को पूरा करने के लिए बीमा कंपनी पर जोर देने में कोई गलती नहीं की थी।"

(37) मामले में आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम यलिमिंटी अप्पन्ना और अन्य **4,**

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:-

"यह ध्यान दिया जाए कि यदि कोई दावेदार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की खंड 197 (1 ए) के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के आर. 29 सी के प्रपत्र संख्या 15 जी पर या ऐसे प्रपत्र पर ऐसी अन्य घोषणा प्रस्तुत करता है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित व्यक्ति या बीमा कंपनी के कार्यालय में लागू हो सकती है, तो ऐसे मामले में व्यक्ति/बीमा कंपनी को टीडीएस के भुगतान के अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

(38) बंबई उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ,

रुपेश रश्मिकांत शाह बनाम भारत संघ और अन्य 5

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:-58. संक्षेप में, रमा बाई (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मुआवजे पर ब्याज की कर योग्यता या मोटर दुर्घटना दावा मामलों में बढ़े हुए मुआवजे के सवाल पर एक प्राधिकरण नहीं है।घनश्याम (एच. यू. एफ.) (ऊपर) में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 28 के तहत ब्याज पूंजीगत लाभ कर को आमंत्रित करेगा।यह निर्णय [4 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 1175 दिया गया था।

5 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम। 1518]

अधिनियम की खंड 145 ए में संशोधन से पहले। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोवालिया भीखुभाई बालाबाई (उपरोक्त) मामले में अभिनिर्धारित किया कि घनश्याम (एच. यू. एफ.)

(उपर्युक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय का अनुपात, वित्त अधिनियम, 2009 के आधार पर भी खंड 145 ए में संशोधन के बाद लागू होता रहेगा।

59. मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवजे पर ब्याज की करयोग्यता या बढ़े हुए मुआवजे का आदेश लगाने के लिए, हमें ब्याज की वास्तविक प्रकृति का आदेश लगाना होगा।यहाँ तक कि निर्धारण अधिकारी ने भी इस आधार पर कार्रवाई की है कि मुआवजा अपने आप में कर योग्य नहीं है।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मृतक या घायल की आय का पता आयकर काटने के बाद मुआवजे के लिए लगाया जाता है।हमने अदालतों के कुछ फैसलों पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि इस तरह का मुआवजा नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में है और इसे आय के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसलिए हम इसी आधार पर आगे बढ़ते हैं।मोटर दुर्घटना दावा मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर दावा न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज की प्रकृति के संदर्भ में, हमने अबती बेजबरूआ (ऊपर), कौश्नुमा बेगम (ऊपर), पेट्रीसिया जी. महाजन (ऊपर) और धर्मपाल (ऊपर) के मामलों सहित सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया है।इन निर्णयों से पता चलता है कि ब्याज मुआवजे की देरी से गणना के लिए दिया जाता है।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 170 से ब्याज प्रवाह प्रदान करने का अधिकार।जैसा कि अच्छी तरह से तय किया गया है, ब्याज देने के लिए न्यायालय के अधिकार का पता एक वैधानिक प्रावधान या पक्षों के बीच समझौते में लगाया जाना चाहिए।मोटर वाहन अधिनियम की खंड 170 की अनुपस्थिति में में, शायद न्यायाधिकरण और उस मामले के लिए, अपील में उच्च न्यायालय के लिए मुआवजे पर ब्याज देना विधिसम्मत नहीं होगा। अबती बेजबरूआ (ऊपर), कौश्नुमा बेगम (ऊपर), पेट्रीसिया जी. महाजन (ऊपर) और धर्मपाल (ऊपर) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना के दावों के मामलों में दिए गए ब्याज की प्रकृति के बारे में बताया।इन निर्णयों में चर्चा का समापन यह होगा कि ऐसा ब्याज प्रतिपूरक प्रकृति का है और इस प्रकार यह स्वयं मुआवजे का हिस्सा होगा। मुआवजे की गणना दुर्घटना की तारीख के संदर्भ में की जाती है।गुणक और गुणक की सभी गणनाएँ ऐसे संदर्भ बिंदु पर आधारित होती हैं।लेकिन न्यायाधिकरण में समय लगता है।यदि उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे को संशोधित किया जाता है तो इसमें और समय लगता है।मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए ब्याज दिया जाता है।प्रयास इस प्रकार न्यायसंगत मुआवजा देने का है।इसलिए मुआवजे की देरी से गणना के लिए ब्याज देना इस कवायद का अभिन्न अंग है।

60. इस मुद्दे को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है।ब्याज के संदर्भ में, तीन महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं।दुर्घटना की तारीख एक ऐसी तारीख है जिसके संदर्भ में पूरे मुआवजे की गणना की जाती है।दावा याचिका दायर करने की तारीख वह तारीख है

जिससे दावेदार दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज मांग सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की खंड 170 के तहत, दावा याचिका दायर करने से पहले की अवधि के लिए ब्याज नहीं दिया जा सकता है।दावा न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय पारित करने की तारीख वह तारीख है जिस पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है और मुकदमेबाजी का इंतजार प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।दावा याचिका दायर करने और इस प्रकार पुरस्कार पारित करने के बीच की अवधि के लिए ब्याज उस अवधि के लिए है जब दावेदार ने पहली बार दावा न्यायाधिकरण से संपर्क किया और न्यायाधिकरण से मुआवजे का आकलन करने और पुरस्कार देने और दावा याचिका के निपटारे में लगने वाले समय के बारे में पूछा।हम यह भी याद कर सकते हैं कि ब्याज दिया जा सकता है, भले ही मुआवजे के हिस्से में भविष्य में आय का नुकसान शामिल हो।ऐसा इसलिए है क्योंकि गुणक विधि इस पहलू को भी प्रभावित करती है।साथ ही, जैसा कि उल्लेख किया गया है, न्यायालय भविष्य के खर्च पर ब्याज नहीं देते हैं क्योंकि राशि का भुगतान दावेदार को उस खर्च के लिए किया जा रहा है जो बाद में किया जा सकता है।इस प्रकार, भविष्य की आय पर ब्याज देने और भविष्य के खर्च के लिए ब्याज नहीं देने के बीच यह द्विभाजन ब्याज दिए जाने के वास्तविक स्वरूप को सामने लाता है।

61. इसलिए हम मानते हैं कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में दिया गया ब्याज दावा याचिका की तारीख से पुरस्कार के पारित होने तक या अपील के मामले में, ऐसी अपील में उच्च न्यायालय के फैसले तक, कर के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऐसा मामला नहीं है।

आय।यह स्थिति [न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड] इस कारण नहीं बदलेगी। अधिनियम की खंड 145 ए का खंड (बी) जो वित्त अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित प्रासंगिक समय पर था, जो प्रावधान अब अधिनियम की खंड 145 बी की उप-खंड (1) में मिलता है। न तो खंड 145 क का खंड (ख), जैसा कि वह सुसंगत समय पर था, और न ही अधिनियम की खंड 56 की उप-खंड (2) का खंड (viii) ब्याज को कर के लिए प्रभार्य बनाता है, चाहे वह ब्याज प्राप्तकर्ता की आय हो या नहीं।अधिनियम की खंड 194 ए केवल स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान है।उक्त खंड में स्रोत पर कर की कटौती का कोई भी प्रावधान रसीद की करयोग्यता को नियंत्रित नहीं करेगा।स्रोत पर कर की कटौती का सवाल तभी उठेगा जब भुगतान प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति में हो।

62. हम खंड 194 ए की उप-खंड (3) के पूर्ववर्ती खंड (ix) या वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा मूल खंड (ix) डब्ल्यू. ई. एफ. 1.6.2015 को प्रतिस्थापित करने वाले नए संशोधित खंड (ix) और (ixa) से अनजान नहीं हैं।खंड 194 ए की उप-खंड (1) में ब्याज के रूप में किसी भी आय के भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान है।खंड 194 क की

उप-खंड (3) में उप-खंड (1) के दायरे से अपवर्जन खंड शामिल हैं।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज के रूप में जमा या भुगतान की गई आय से संबंधित संशोधन से पहले उप-धारा (3) में निहित खंड (ix) जहां ऐसी राशि Rs.50,000/- से अधिक नहीं थी।इस प्रावधान के प्रतिस्थापन में, खंड (ix) अब यह प्रावधान करता है कि उप-धारा (1) का प्रावधान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज के रूप में जमा की गई ऐसी आय पर लागू नहीं होगा।खंड (ixa) वस्तुतः असंशोधित खंड (ix) के मूल प्रावधान को बरकरार रखता है।अतः माननीय ए. एस. जी. का तर्क होगा कि इन प्रावधानों के आधार पर, ब्याज आय पर स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न नहीं होगी जब वह किसी वित्तीय वर्ष में एल. 50,000/- से अधिक न हो या जहां ऐसी आय केवल जमा की जाती है।दूसरे शब्दों में, ब्याज के भुगतान के समय, स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान लागू होगा।

63. जहां तक पूर्ववर्ती खंड (ix) के साथ पठित खंड 194 a (1) और प्रतिस्थापित खंड (ix) और उप-खंड (3) के प्रतिस्थापित खंड (ix) और (ixa) के स्पष्ट अर्थ का संबंध हो सकते हैं। कोई संदेह या विवाद नहीं।हालाँकि, बुनियादी सवाल यह है कि क्या खंड 194 ए ब्याज आय को कर के लिए प्रभार्य बनाती है यदि अन्यथा ऐसा नहीं है।जवाब नकारात्मक होना चाहिए।स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं है।यह केवल उसी के भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती करता है, जो प्राप्तकर्ता के हाथों में आय है।यदि ऐसी आय का भुगतान करने के लिए प्राप्तकर्ता का कोई दायित्व नहीं है, तो भुगतानकर्ता के हाथों में स्रोत पर कर की कटौती करने का दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान भुगतान की जा रही राशि की करयोग्यता को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

64. हंसागुरी प्रफुल्लचंद्र (उपरोक्त) के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले में, न्यायालय के पास मुआवजे पर ब्याज की करयोग्यता या मोटर दुर्घटना के मामलों में मुआवजे में वृद्धि पर निर्णय लेने का कोई अवसर नहीं था।गौरी दीपक पटेल और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले के अन्य में भी यही स्थिति थी।(ऊपर)।

65. हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये टिप्पणियां और निष्कर्ष मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज पर दावा याचिका की तारीख से निर्णय या निर्णय पारित होने तक लागू होंगे।अतिरिक्त ब्याज जो प्रदत्त राशि जमा करने में देरी के लिए भुगतान किया जा सकता है, मुआवजे का हिस्सा नहीं होगा और इसलिए, ब्याज आय के दायरे में आएगा और सामान्य प्रावधानों के तहत कर के लिए पात्र होगा।66. बंद करने से पहले हम कुछ ढीले छोर बांधते हैं:(i) याचिकाकर्ताओं के माननीय अधिवक्ता ने अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार पर कोई

प्रस्तुति नहीं दी थी, वस्तुतः चुनौती को छोड़ दिया था।इसलिए हमने इसकी जांच नहीं की है।

((ii) यद्यपि वैधानिक अपील की उपलब्धता के आधार पर याचिका का कोई गंभीर विरोध नहीं किया गया था, हम सोचते हैं कि यह बताना हमारा कर्तव्य है कि इस याचिका पर विचार क्यों किया गया था।वर्तमान मामले में, केवल मोटर दुर्घटना के मुआवजे पर ब्याज वसूलने/कर के लिए बढ़े हुए मुआवजे का सवाल था।यह विशुद्ध रूप से कानून का सवाल था।

कोई भी तथ्य सुनिश्चित भी किया गया था अन्यथा यह महत्वपूर्ण था कि इस तरह के प्रश्न का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाए।इसलिए, हमने याचिका पर विचार किया था।

((iii) निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन का आदेश पारित कर दिया है।उन्होंने एक प्रामाणिक मूल्यांकन किया है।उनके दृष्टिकोण से कोई आलोचना नहीं हो सकती।लेकिन जब जुर्माने के लिए नोटिस जारी करने की बात आती है, तो यह तर्क की अवहेलना करता है।याचिकाकर्ता ने अपने इस रुख के बावजूद कि ब्याज कर योग्य नहीं है, रिटर्न दाखिल किया, कर के लिए ब्याज की पेशकश की और विरोध के तहत इस तरह के कर को जमा भी किया।जुर्माने के लिए नोटिस जारी करने का उद्देश्य क्या था, यह समझना मुश्किल है।

67. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि मूल्यांकन अधिकारी ने उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख तक याचिकाकर्ता को दिए गए मुआवजे के ब्याज घटक पर कर लगाने में त्रुटि की थी।फैसले के बाद उसे दिए गए किसी भी ब्याज पर, कर को अन्य स्रोतों से आय के रूप में एकत्र किया जाना था।इसलिए, हम मूल्यांकन के विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं और याचिकाकर्ता के मूल्यांकन को नए आदेश पारित करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास वापस रखते हैं।

इस निर्णय के अनुरूप।समापन से पहले, हम उस उद्योग और समयबद्धता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं जिसके साथ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जमशेद मिस्त्री, न्यायालय मित्र वर्तमान याचिका में न्यायालय की सहायता की थी।

68. लिखित याचिका का निपटान तदनुसार किया जाता है।"

(39) राम खिलोनी में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय @

खिलोनी और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड **6,**

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः- "22. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बीमा कंपनी को ब्याज के साथ एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है और बीमा कंपनी द्वारा ब्याज के साथ राशि जमा करने के बाद ही उक्त राशि दावेदारों के बीच विभाजित की जानी थी।बीमा कंपनी को दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शेयर के अनुसार ब्याज के साथ मुआवजे की राशि की गणना करने का निर्देश नहीं दिया गया था। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय [6 2020 (3) एम. पी. एल. जे.] का है। द्वारा माना जाता है कि बीमा कंपनी ने पूरे ब्याज पर टी. डी. एस. काटने में कोई गलती नहीं की है। हालाँकि, प्रत्येक दावेदार आयकर विभाग से धनवापसी का दावा करने का हकदार होगा, यदि उसका मानना है कि अत्यधिक कर की कटौती की गई है।श्रीमती के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ। द्रौपदीबाई (सुप्रा) ने निम्नानुसार माना हैः13. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1961 के अधिनियम की खंड 194 ए की उपरोक्त व्याख्या केवल उन मामलों में लागू होती है जब मुआवजे की राशि का विभाजन किया गया है और प्रत्येक दावेदार को देय ब्याज का पता लगाया जा सकता है, लेकिन स्थिति तब अलग हो सकती है जब न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय में ऐसा कोई विभाजन नहीं किया जाता है और प्रत्येक दावेदार को देय ब्याज का न्यायाधिकरण के समक्ष ब्याज राशि जमा करते समय अलग से पता नहीं लगाया जाता है।रेखांकित रेखा लागू की गई

23. इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि बीमा कंपनी आयकर अधिनियम की खंड 194 ए (3) (ix) (ix-a) के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर टीडीएस की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, और यदि निर्धारिती का विचार है कि कर की अधिक कटौती की गई है, तो वह हमेशा आयकर विभाग से उसी के धनवापसी का दावा कर सकता है।

24. तदनुसार, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि निष्पादन दावा न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करके भौतिक अवैधता की है कि बीमा कंपनी टी. डी. एस. की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। 25.नतीजतन, 6 वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, ग्वालियर द्वारा निष्पादन दावा मामला संख्या 107/2018 में पारित 1-11-2018 का आदेश इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।"

(40) बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम जानकी 7 में, यह न्यायालय

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः-

"36. इस प्रकार, यदि आहरण और संवितरण अधिकारियों के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले का सख्ती से पालन किया जाना है, क्योंकि यह पीठ किसी भी मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 194 ए (3) में पीठ (ix) के

संशोधन और पीठ (ixa) के सम्मिलन तक ऐसा करने के लिए बाध्य है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

7 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 1381

स्रोत पर कटौती योग्य, भले ही ऐसा ब्याज रुपये से अधिक हो। 50, 000/- किसी विशेष वर्ष में।इसलिए, खण्ड पीठ के उक्त फैसले के अनुपात का सम्मान करते हुए, 01.06.2015 तक स्रोत पर कोई कर कटौती योग्य नहीं होगा, भले ही ऐसा ब्याज रु। 50, 000/- वित्तीय वर्ष 2014-15 में और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 01.06.2015 तक।

37. इसलिए, यदि याचिकाकर्ता कंपनी ने 01.06.2015 से पहले दावेदारों को मुआवजे पर ब्याज का भुगतान किया है, और उस समय आयकर अधिकारियों के पास टीडीएस जमा किया है, तो भी जहां ऐसा ब्याज रुपये से अधिक नहीं था। 50, 000/- किसी विशेष वित्तीय वर्ष में, तो ऐसी जमा राशि कंपनी द्वारा आहरण और संवितरण अधिकारियों के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा जो अभिनिर्धारित की गई है, उसके पूरी तरह विपरीत की गई है (हालांकि मेरी राय में, 1961 के अधिनियम की खंड 194 ए के उपखंड (3) के असंबद्ध खंड (ix) के संदर्भ में भी, कर स्रोत पर कटौती योग्य था, चाहे वह जमा किया गया हो या वास्तव में भुगतान किया गया हो)।

38. उस निर्णय के अनुपात की प्रयोज्यता के अनुसार, दावेदारों पर धनवापसी की मांग करते हुए विवरणी दाखिल करने का बोझ नहीं डाला जा सकता है, यदि गलती स्वयं कंपनी की है (गलत कटौती करके)।

39. नतीजतन, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इन याचिकाओं का निपटारा दोनों याचिकाओं में विवादित आदेशों के साथ किया जाता है।

40. मामले को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मोगा को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि यदि मुआवजे पर ब्याज का भुगतान 01.06.2015 से पहले किया गया था, तो याचिकाकर्ता कंपनी दावेदारों को स्रोत पर कटौती की गई कर की राशि का भुगतान करेगी (और यदि वह चाहे तो संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करके आयकर अधिकारियों से धनवापसी की मांग करेगी)।

41. हालाँकि, दूसरी ओर, यदि दिए गए मुआवजे पर ब्याज का भुगतान वास्तव में 01.06.2015 के बाद किया गया था, और ऐसा ब्याज रु। 50, 000/-, याचिकाकर्ता कंपनी प्रत्यर्थी-दावेदारों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, स्रोत पर काटा गया कर और आयकर विभाग को भुगतान किया गया।

42. ऐसे मामले में, इन याचिकाओं में से प्रत्येक में प्रत्यर्थी-दावेदारों का विकल्प होगा कि वे संबंधित वर्ष के लिए एक उपयुक्त आयकर विवरणी दाखिल करें, जिसमें स्रोत पर काटे गए कर की वापसी की मांग की जाए, यदि ऐसा कर/उसका कोई हिस्सा वास्तव में उनके द्वारा कर योग्य सीमा से नीचे होने के कारण देय नहीं था।

43. विद्वान न्यायाधिकरण फलस्वरूप प्रत्येक मामले में उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने पर एक उचित आदेश पारित करेगा।

44. बीमा कंपनी या दावेदारों द्वारा आयकर अधिकारियों के समक्ष इस तरह का कोई भी विवरणी दाखिल किए जाने पर, इस तरह के विवरणी/संशोधित विवरणी दाखिल करने में देरी को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि मामला आज ही इस अदालत में सुलझा लिया गया है।"

(41) पक्षों के माननीय अधिवक्ताों को सुनने और उपरोक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठों और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और इस न्यायालय की एकल पीठों द्वारा द्वारा गए विचार ऊपर बताए गए बिंदुओं पर सुसंगत हैं, जबकि इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा 2019 के सी. डब्ल्यू. पी.-8951 में बालदाई बनाम मुख्य के रूप में लिया गया विचार।

आयुक्त, आयकर विभाग और अन्य ने निर्णय लिया

आई. डी. 1 पर उपरोक्त निर्दिष्ट विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के अनुरूप नहीं है और इसलिए, सुसंगत दृष्टिकोण का पालन करते हुए इसे निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

(ए) पूर्ववर्ती खंड (IX) के साथ पठित खंड 194-ए (1) और उप-खंड (3) के प्रतिस्थापित खंड (IX और IX-ए) की व्याख्या के अनुसार, यह स्पष्ट है कि 'आय' पर ब्याज कर के लिए प्रभार्य है, यदि यह अन्यथा नहीं है क्योंकि स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान एक प्रभार प्रावधान नहीं है।गुजरात उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए

भोयाभाई हीराभाई भार्गव का मामला (ऊपर);

यालिमिंटी अप्पन्ना के मामले में अनाधर प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला (ऊपर); व्यासान देवी के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला (ऊपर), न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।

राम खिलोनी के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला (ऊपर), यह स्पष्ट हैः-

(i) बीमा कंपनी, प्रति वर्ष प्रति दावेदार 50,000/- से अधिक ब्याज जमा करते समय एम. ए. सी. टी. के समक्ष एक गणना दाखिल करेगी कि कितना टी. डी. एस काटा जाना है।

(ii) पहली बार में, बीमा कंपनी आयकर विभाग के प्रति जिम्मेदारी या दायित्व से राहत पाने के लिए ब्याज के साथ भुगतान करते समय दावेदारों से आयकर अधिनियम/नियमों के नियम 29-सी का 'फॉर्म 15-जी' प्राप्त आदेश के लिए एम. ए. सी. टी. को आवेदन करेगी और M.A.C.T. दावेदारों के पक्ष में भुगतान जारी करेगी, जब दावेदार या अभिभावक द्वारा आवश्यक फॉर्म पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या अंगूठे से चिह्नित किया जाएगा, जहां दावेदार नाबालिग हैं।

(iii) पीठ IX के संशोधन से पहले और आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 194 (ए) (3) के तहत पीठ IX-A को शामिल करने के बाद, इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित जानकी के मामले (उपरोक्त) में निर्णय को देखते हुए, स्रोत पर कोई ब्याज कटौती योग्य नहीं होगा, भले ही ब्याज किसी विशेष वर्ष में Rs.50,000/- से अधिक हो।इसलिए, बीमा कंपनी को 1.6.2015 से पहले दावेदारों को अर्जित मुआवजे के ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, भले ही उस समय टीडीएस आयकर अधिकारियों के पास जमा किया गया हो और दावेदारों पर बीमा कंपनी की किसी भी गलती के लिए धनवापसी मांगने के लिए विवरणी दाखिल करने का बोझ नहीं डाला जा सकता है।

(42) तदनुसार, 2019 के सी. आर. No.527,4687 और 6862 को खारिज कर दिया जाता है और अन्य का निपटारा विवादित आदेशों को दरकिनार करके किया जाता है और मामलों को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया जाता है कि यदि मुआवजे पर ब्याज का भुगतान 1.6.2015 से पहले किया जाता है, तो बीमा कंपनी दावेदारों को स्रोत पर काटे गए कर की राशि का भुगतान करेगी और बीमा कंपनी संशोधित आयकर विवरणी दाखिल करके आयकर अधिकारियों से धनवापसी की मांग कर सकती है।जहां मुआवजे पर ब्याज वास्तव में 1.6.2015 के बाद भुगतान किया जाता है, जो प्रति वित्तीय वर्ष Rs.50,000/- प्रति दावेदार से अधिक है, बीमा कंपनी आयकर अधिनियम/नियमों के नियम 29-सी के 'फॉर्म 15-जी' को सुरक्षित करने पर भुगतान करेगी।

(43) पक्षकार संबंधित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष 31.8.2022 पर उपस्थित होंगे और उसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर नए आदेश पारित किए जाएंगे।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator (भाषा अनुवादक)

प्रियंका शर्मा

माननीय न्यायालय श्री यशविन्द्र पाल सिंह अतिरिक्त जिला स्तर न्यायधीश, यमुनानगर (जगाधरी)